सत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड



A-1/4ए লखनपुर कानपुर - 208024

दूरभाष : 0512- 582851-53 : 0512-2580797

वेबसाइट: www.upsidc.com CIN-U269615GC002834

णडो

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/एटीपी दिनांक.

कार्यालय आदेशं.

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में विकसित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव सीधे एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को अपूर्ण प्रपत्रों के साथ विना किसी स्पष्ट संस्तृति के प्रेपित किये जा रहे हैं, जिससे उनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्य होता है।

अतः समस्त क्षेत्रीय प्रयन्धक / परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से निम्न विन्दुओं पर विवरण एवं सम्बन्धित प्रपत्रों सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायेगें:--

प्रथम आवंटन से पूर्व औद्योगिक मूखण्डों के आकार परिवर्तन करते हुये विकास क) योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीसीडा द्वारा संशोधन के प्रस्तावः

भूखण्डों / भूखण्ड की तलपट मानचित्र / विकास योजनां में अवस्थिति, निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानचित्र के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।

भूखण्डों / भूखण्ड के आवंटन हेतु गठित आंकलन समिति की संस्तुति तथा आवंटन 2 प्रस्ताव का प्रवाध निदेशक द्वारा अनुमोदन।

भूखण्डों / भूखण्ड पर निर्माण की अद्यतन रिथति। • 3

भूखण्डों / भूखण्ड के निकटवर्ती भूखण्डों पर निर्माण एवं सेटवैक की स्थिति। 14.

भूखण्डों / भूखंपुड में उद्यमी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, , 5 संवातन, प्राइवेसी एवं प्रदूषण सम्बन्धी दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्डों पर दुष्प्रभाव सम्बन्धी आख्या।

भूखण्डों / भूखण्ड का संविलियन / उप विभाजन प्रस्ताव यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने, विकास कार्य सम्मिलित न होने एवं आच्छादित भूमि के निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति।

अन्य विवरण।

औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में आवंटित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्तावः

आवंटी का अनुरोध पत्र एवं यूपीसीडा के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित संविलियन/उप विभाजन मान्चित्र।

आवंटित भूखण्डों का आवंटन/हस्तांतरण पत्र। 2

प्रस्तावित भूखपड की तलपट मानचित्र/विकास योजना में अवस्थिति, निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानचित्र के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।

आवंटित भूखण्डों का पट्टाविलेख एवं कब्जा प्रमाणपत्र। संविलियन विभाजन शुल्क की यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 के 4

मानकों के अनुसार गणना का विवरण एवं प्राप्ति एसीद। 5

ख)

- वार्यालय आदेश सं० 491-518/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 09.3.2018 के कम संवित्यन शुल्क की देयता में छूट प्रभावी होने सम्बन्धी मुख्य कार्यपालक अधिकारी हो जारी अनुमित पत्र।

 7 आवंटित भूरवण्डों पर निर्माण की अद्यतन रिष्धित तथा निकटवर्ती भूखण्डों के आवंटन/निर्माण की अद्यतन रिष्धित।

 8 आवंटित भूखण्डों पर वर्तमान में निर्माण होने की दशा में स्वीकृत भवन मानवित्र। यदि शमन अपेक्षित हो तो शमन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपसन्त जारी स्वीकृत मानवित्र।

 9 संवित्यित भूखण्ड में उद्यमी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाण, संवातन एवं प्राइवेसी पर दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में रिष्टत उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्ड पर दुष्प्रभाव।
- 10 प्रस्ताव के यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित गानकों के अनुरूप होने, भू—उपयोग परिवर्तन न होने तथा विकास कार्य यदि प्रस्तावित हो तो उनके विवरण सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति एवं आख्या।
- 11 यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 के अनुसार भूखण्डों का संवितियन/उप विभाजन एक समर्थक प्रावधान (Enabling Provision) है। अतः प्रस्ताय को कार्यहित में आवश्यक होने तथा क्षेत्र की विकास योजना की भूल संरचना प्रभावित न होन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रियोजना अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या।
- 12 आवंटित भूखण्डौ पर लीज प्रीमियम/प्रभाव शुल्क/आवंटन सम्बन्धी समस्त शुल्क/समय विस्तारण शुल्क ज्ञा निगम के अन्य समस्त देयों के पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रयन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा संवितियन/उप विगाजन भूखण्डों के प्रस्ताव समस्त आवश्यक प्रपन्न, सम्बन्धित मूल पत्रावली सिंहत औठक्षेठ अनुभाग, मुख्यालय प्रेपित किये जायेगें। समस्त प्रस्ताव सम्बन्धित पत्रावितयों पर औठक्षेठ अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उचित पाये जाने की जायेगें। समस्त प्रस्ताव सम्बन्धित पत्रावितयों पर औठक्षेठ अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उचित पाये जाने की दशा में संस्तुति सिंहत एटीपी अनुभाग, मुख्यालय अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जायेगें।

(पी०के० पाण्डेय) संयुक्त प्रयन्ध निदेशक

/एसआईडीसी/एटीपी/कार्या आदेश दिनांक 27.7.2018 संदर्भ संख्या 381 उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:-अधिकारी-यूपीसीडा, कार्यपालक /मुख्य महोदय निदेशक प्रयन्ध उ०प्र०राठऔ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर। 1 च०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, प्रवन्धक(औ0क्षे0), प्रबन्हीं (की0क्षे0) / प्रभारी - मुख्य मुख्य मुख्यालयं, कानिपुर्। प्रभारी-यूपीरिविधी उ०प्र०रा०औविविविनिवित्व, मुख्यालय, कानपुर। प्रभारी-एटीपी (१०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर। समस्त क्षेत्रीय प्रधन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, समस्त अधिशावी अभियन्ता, उ०प्रवराठऔठविठनिठलिठ,.....

> (पी०के० पाण्डेय) संयुक्त प्रयन्य निदेशक